निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–17.02.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 03:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **<u>समाहरण :–</u>**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 16 फरवरी, 2026 तक मात्र 2539.74 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत 53.68 है।

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 16 फरवरी, 2026 तक सबसे कम समाहरण (प्रतिशत में) करने वाले जिले मुंगेर (24.30 प्रतिशत), शिवहर (29.49 प्रतिशत), जमुई (32.55 प्रतिशत), सारण (34.00 प्रतिशत), जहानाबाद (36.16 प्रतिशत), पटना (40.38 प्रतिशत), लखीसराय (42.77 प्रतिशत), औरंगाबाद (44.13 प्रतिशत), मधुबनी (44.46 प्रतिशत) एवं बेगूसराय (44.91 प्रतिशत) है, जो कि लक्ष्य से 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि है, इसी प्रकार गया (133.10/279.21 करोड़ रू0) एवं रोहतास (227.88/426.69 करोड़ रू0) जिला का भी लक्ष्य एवं समाहरण में बहुत अधिक अन्तर है। साथ ही इन जिलों द्वारा बालूघाटों के संचालन में व्यक्तिगत अभिरूचि न लेने, बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों से बंदोबस्ती की राशि का भुगतान नहीं कराने, कार्य विभागों का नियमित अनुश्रवण नहीं करने, मदवार राजस्व समाहरण की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने एवं अनीलामित बालूघाटों को नीलामी की कार्रवाई में अभिरूचि नहीं लेने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 01 माह की अवधि शेष है। राजस्व समाहरण में पीछे चल रहे जिलों को बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों को राजस्व समाहरण में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर लक्ष्य के अनुसार सभी मदों में प्राप्ति हेतु सख्त निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण किया जाय कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

2. **<u>कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :–</u>**

कार्य विभाग का निर्धारित लक्ष्य 1263.51 करोड़ के विरूद्ध 15 फरवरी, 2026 तक का समाहरण 782.38 करोड़ है, जो लक्ष्य का प्रतिशत 61.92 है। मधेपुरा, सुपौल, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुंगेर,

लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, नवादा, पटना एवं रोहतास जिलों का कार्य विभाग मद में कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत से भी कम समारण किया गया है, जो खेदजनक है। संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सचेष्ट किया गया कि विभिन्न कार्य विभागों यथा :– ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, PHED, मनरेगा, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, NHAI एवं पुल निर्माण निगम, पुलिस भवन निर्माण निगम, शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं अन्य विभागों/निगम से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित कर नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की राशि का कटौती सुनिश्चित करायें तथा कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। जिलास्तरीय खनन टॉस्क फोर्स की बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान की समीक्षा समाहर्त्ता से करायेंगें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **<u>बालूघाटों के नीलामी/संचालन :–</u>**

(i) राज्यान्तर्गत कुल– 463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 160 बालूघाट अनीलामित है एवं संचालित बालूघाटों की संख्या 168 है। वर्त्तमान में औरंगाबाद में 59, गया में 20, जहानाबाद में 12, पटना में 11, नवादा में 11, भोजपुर में 10, रोहतास में 08, नालन्दा में 08, जमुई में 08, लखीसराय में 05, भागलपुर में 05 एवं अरवल में 03 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। बालूघाटों की बंदोबस्ती के संबंध में बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद बालूघाटों की नीलामी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों का निविदा आमंत्रित कर बालूघाटों की नीलामी की कार्रवाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित करायें। साथ ही नीलामीत बालूघाटों का बंदोबस्तधारी एवं संबंधित RQP से सम्पर्क कर लंबित वैधानिक अनापत्ति यथा EC/CTE/CTO सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(ii) राज्यान्तर्गत कुल 541 उजले बालूघाटों/कलस्टरों में से वर्तमान में कुल 85 बालूघाट नीलामित हैं। शेष अनीलामित कुल 456 बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। वर्त्तमान में वैशाली के 132, पटना के 124, सारण के 51, बक्सर के 45, मुंगेर के 22, पूर्णियाँ के 17, समस्तीपुर के 13, गोपालगंज के 12 एवं मोतिहारी के 12 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। निदेश दिया गया कि अविलम्ब समाहर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर नीलामी हेतु निविदा का प्रकाशन कराया जाय।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **SEIAA की अगली बैठक में EC प्राप्त होने वाले बालूघाटों की स्थिति :–**

दिनांक– 19.02.2026 को राज्य के कुल– 31 बालूघाटों एवं दिनांक– 21.02.2026 को बाँका जिला के 02 बालूघाट के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित बैठक में पटना के 03, भोजपुर के 04, औरंगाबाद के 09, नवादा के 06, जमुई के 05, सीतामढ़ी के 02, मोतिहारी के 01 एवं रोहतास के 01 प्रस्ताव कार्यावली में शामिल हैं। निदेश दिया गया कि प्रस्तावित बैठक में अचूक रूप से RQP/बंदोबस्तधारी की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **EC निर्गत परन्तु CTE/CTO लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 04.02.2026 को SEIAA, Bihar द्वारा निर्गत कुल– 07 बालूघाटों की EC के सापेक्ष कुल– 04 बालूघाटों का CTE/CTO लंबित है, जिसमें पटना जिला के 01 CTO, अरवल के 02 CTE एवं जमुई के 01 बालूघाट द्वारा CTE हेतु आवेदन नहीं दिया गया है। निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि लेकर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से समन्वय स्थापित कर लंबित CTE/CTO का निष्पादन सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **CTE/CTO निर्गत परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औरंगाबाद जिला के 03, अरवल के 01, गया के 01, मधेपुरा के 01, वैशाली के 02 एवं बेगुसराय के 01 बालूघाटों का परन्तु CTE/CTO निर्गत है, परन्तु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि 03 दिनों के अन्दर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0–78 है, जिसमें से मात्र 11 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रत्यार्पित बालूघाटों की सघन जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों के Lessee का समाहर्त्ता के साथ बैठक कराकर समस्याओं का निराकरण करायें, ताकि राजस्व क्षति न हो।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में लक्ष्य एवं समाहरण के कार्य योजना की समीक्षा :–**

सहायक निदेशक एवं खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन मदों से राशि आने वाली है, उसे विशेष रूप से ध्यान देकर अविलम्ब खनन शीर्ष में जमा करायें। बालूघाटों के नीलामी / पुनर्नीलामी में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अविलम्ब नीलामी सफल करायें। इसी प्रकार संचालित बालूघाटो से प्राप्त होने वाली देय किस्त की राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित करायें। कार्य विभाग में व्यवहृत

लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती सुनिश्चित कराते हुए राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। साथ ही कार्य विभाग से प्राप्त राशि को संबंधित कोषागार से मिलान कराना सुनिश्चित करें। दण्ड मद निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दण्ड की वसूली सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **समाहरण के दृष्टिगत बड़े 05 जिलों का लक्ष्य एवं समाहरण :–**

क्र0	जिला का नाम	वार्षिक लक्ष्य (2025–26)	16 फरवरी, 2026 तक का समाहरण	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर
01	पटना	63940.77	25820.58	38120.19
02	औरंगाबाद	51290.81	22736.68	28554.13
03	भोजपुर	83838.73	58133.83	25704.90
04	रोहतास	42669.49	22823.95	19845.54
05	गया	27921.94	13562.48	14359.46

उपरोक्त 05 जिलों का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर काफी अधिक है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी)

10. **ईंट–भट्ठों की भुगतान की स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल ईंट–भट्ठों की सं0–6188 है, जिसमें से पूर्ण भुगतान ईंट–भट्ठों की सं0–3234 है, आंशिक भुगतान प्राप्त ईंट–भट्ठों की सं0–14 एवं शून्य भुगतान वाले ईंट–भट्ठों की सं0–2896 है। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिलों में संचालित ईंट–भट्ठों का निरीक्षण कार्य पूर्ण कराकर सभी ईंट भट्ठों से समेकित स्वामिस्व का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(1) वैशाली जिला के खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि EC प्राप्त होने के बाद भी भुगतान इतने दिनों से क्यों लंबित रखा गया है, इस संबंध में उन्हें सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(2) विभिन्न जिलों यथाः–मुंगेर, शिवहर, सारण (छपरा), लखीसराय, जमुई, गया, औरंगाबाद, मधेपुरा एवं वैशाली जिलों के पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा के क्रम में खनिजों से राजस्व समाहरण प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने एवं

राजस्व समाहरण में व्यक्तिगत अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में पूरी तैयारी के साथ बैठक में पूछे गये सभी बिन्दुओं पर सटीक उत्तर देना सुनिश्चित करें। साथ ही मुंगेर जिला के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 22 अनीलामित उजले बालूघाटों को अविलम्ब नीलामी की प्रक्रिया अपना कर नियमानुसार संचालन की कार्रवाई प्रारंभ करें।

(3) विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के समाप्ति में बहुत ही कम दिन शेष है। कार्य योजना के तहत शेष लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(4) संचालित बालूघाटों/प्रत्यार्पित बालूघाटों के संबंध में पहुँच पथ, विधि व्यवस्था, नो–इन्ट्री इत्यादि समस्याओं का समाधान राजस्व हित में करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15/2023–................../एम0, पटना, दिनांक :–..................
प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15/2023–1537/एम0, पटना, दिनांक :–24/02/26
प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26
सरकार के अवर सचिव

24.2.26